

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 375 / 14-1 दिनांक, कानपुर, जुलाई, 31 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ

विषय:- एन०एच०-86 किमी० 20.8 से 61.9 के किनारे वाटर कैंरीज सिस्टम हेतु घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा पाइपलाइन डालने में प्रस्तावित 14.385 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव।
संदर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर की पत्र संख्या 342 / 14-1 दिनांक 27.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर ने अपने पत्रांक 342 / 14-1 दिनांक 27.07.2018 से एन०एच०-86 किमी० 20.8 से 61.9 के किनारे वाटर कैंरीज सिस्टम हेतु घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा पाइपलाइन डालने में प्रस्तावित 14.385 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया है, जिसे मूल में प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- यथोपरि (प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ मूल में)

भवदीय

(ओ०पी० सिंह)

मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या: अ / समदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उ०प्र०, जल निगम, घाटमपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ०पी० सिंह)

मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर